राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में)
(विज्ञापन सं. 05 / कार्यालय परिचारक / 2019-20)
अधीनस्थ सेवा में कार्यालय परिचारक के पद पर भर्ती

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में अधीनस्थ सेवा में ग्रुप सी में **कार्यालय परिचारक** के पद के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. अभ्यर्थी **25 दिसंबर 2019 से 12 जनवरी 2020** के बीच नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर केवल **ऑनलाइन** आवेदन कर सकते हैं. नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में अखिल भारतीय शीर्ष संगठन है और यह समान अवसर देने वाला नियोक्ता है.

आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थी सभी अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह सुनिश्चित करें कि वे पद हेतु सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं. नाबार्ड अपेक्षित लागू परीक्षा शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अभ्यर्थियों को शामिल करेगा और कार्यग्रहण के चरण में उनकी पात्रता सत्यापित की जाएगी. यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी मिथ्या/ गलत है अथवा यदि बैंक के अनुसार अभ्यर्थी पद हेतु पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उसे सेवा ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि केवल बैंक की वेबसाइट www.nabard.org के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें. किसी अन्य पद्धति से किया गया आवेदन नाबार्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा.

सहयोग की सुविधा: फॉर्म भरने, शुल्क/ सूचना प्रभार के भुगतान या बुलावा पत्र को डाउनलोड करने में यदि कोई समस्या आती है तो http://cgrs.ibps.in/ पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. कृपया ई-मेल के विषय के रूप में "नाबार्ड- कार्यालय परिचारक परीक्षा" लिखना न भूलें.

महत्वपूर्ण तिथियाँ/ समय-सीमा

ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क/ सूचना प्रभार का ऑनलाइन भुगतान	**25 दिसंबर 2019 से 12 जनवरी 2020**
ऑनलाइन परीक्षा (अनुमानतः)	**फरवरी 2020**
@नाबार्ड को तारीखों में परिवर्तन करने का अधिकार है	

बुलावा पत्र/ सूचना-पत्रक को डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट www.nabard.org-career notices पर लिंक दिए जाएँगे. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता कि वे भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से बैंक की वेबसाइट देखें.

<u>अनुबंध - I</u>

<u>तालिका - I</u>

I. कार्यालय परिचारक के पद के लिए रिक्तियाँ और आरक्षण

क्रम सं.	राज्य/कार्यालय	कुल	अना	अजा	अजजा	अपिव	आकव	दिव्यांग #	सैनिक	
									पूर्व सैनिक	दिपू/आ सैनिक
1	आंध्र प्रदेश @	1				1				
2	अरुणाचल प्रदेश	1	1							
3	छत्तीसगढ़	3	3							
4	गोवा	1	1							
5	गुजरात	3	3							
6	हरियाणा	5	4			1				
7	हिमाचल प्रदेश	1	1							
8	जम्मू और कश्मीर	1	1							
9	कर्नाटक	3	3							
10	कर्नाटक (बर्ड, मंगलूरु)	2	2							
11	केरल	3	2			1				
12	महाराष्ट्र (प्रका-मुंबई)@	23	7		8	6	2	6	14	3
13	मेघालय	1	1							
14	मिज़ोरम	1	1							
15	नागालैंड	2	2							
16	नई दिल्ली	3	3							
17	ओडिशा	2	1		1					
18	राजस्थान@	4	2	1		1				
19	तेलंगाणा@	2	1			1				
20	उत्तर प्रदेश $	8	6			2				
21	उत्तराखंड	2	2							
22	त्रिपुरा	1	1							
	कुल	73	48	1	9	13	2	6	14	3

दिव्यांग # वीआई - 01, एमडी-01, एचआई-02, एलडी-02 (06 दिव्यांग रिक्तियाँ जिसमें 2 रिक्तियाँ आगे ले जाई गई हैं)

$ एनबीएससी, लखनऊ में 04 रिक्तियाँ शामिल हैं.

@ बैकलॉग रिक्तियाँ (आंध्र प्रदेश में 01 अपिव, प्रका, मुंबई में 08 अजजा और 06 अपिव, राजस्थान में 01 अजा तथा तेलंगाणा में 01 अपिव)

संक्षेपाक्षर: अजा - अनुसूचित जाति, अजजा - अनुसूचित जनजाति, अपिव - अन्य पिछड़े वर्ग, आकव - आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, दिव्यांग - बेंचमार्क नि:शक्तता वाले व्यक्ति अर्थात् पीडब्ल्यूबीडी, दिव्यांग पूर्व सैनिक - दिव्यांग पूर्व सैनिक/ कार्रवाई में हत पूर्व सैनिकों के आश्रित,

(i) दिव्यांगों/ पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण क्षैतिज होगा और उसे विभिन्न श्रेणियों के लिए राज्य-वार रिक्तियों में शामिल किया गया है.

(ii) अपिव श्रेणी के जो अभ्यर्थी 'क्रीमी लेयर' में आते हैं उन्हें अपिव आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. उन्हें अपनी श्रेणी को 'सामान्य' के रूप में दर्शाना चाहिए.

(iii) आरक्षण का लाभ लेने वाले अपिव अभ्यर्थियों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार क्रीमी लेयर का न होने के खंड के साथ 31 मार्च 2019 के बाद जारी अपिव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.

(iv) **अभ्यर्थी केवल एक राज्य में रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं.** भारत सरकार के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार अजा/ अजजा/ अपिव/ दिव्यांग/ पूर्व सैनिक/ आकव श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जाएगा.

(v) बैंक को इस बात का अधिकार होगा कि वह अपने विवेक से मानदंडों/ रिक्तियों, चयन पद्धति आदि में से किसी को भी परिवर्तित (निरस्त/ संशोधित/ वर्धित) कर सके. इसके अलावा बैंक को यह भी अधिकार होगा कि वह अपने विवेक से चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में भर्ती को अंशतः/ पूर्णतः रोक दे/ रद्द कर दे.

आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश

क) नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों नामतः सामान्य, अजा, अजजा, अपिव, आकव के लिए समग्र राज्य-वार रिक्तियों के भीतर कुल रिक्तियों के 4% की दर से क्षैतिज रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण लागू होगा.

ख) दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी, आयु सीमा में छूट और आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट के लिए पात्र होंगे लेकिन उन्हें सूचना प्रभार का भुगतान करना होगा.

ग) केवल ऐसे 'दिव्यांग' ही आरक्षण के पात्र होंगे जिनकी निःशक्तता उन मामलों में 40% से कम नहीं होगी जिनमें निःशक्तता को माप में परिभाषित नहीं किया गया हो और इसमें ऐसा निःशक्त व्यक्ति शामिल होगा जिसमें प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित माप में विशिष्ट निःशक्तता को परिभाषित किया गया होगा.

घ) पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण विभिन्न श्रेणियों, नामतः सामान्य, अजा, अजजा, अपिव, आकव के लिए समग्र राज्य-वार रिक्तियों के भीतर कुल रिक्तियों के 24.5% की दर से क्षैतिज रूप में लागू होगा जिसमें दिव्यांग पूर्व सैनिकों और कार्रवाई में हत सैनिकों के आश्रितों को एकसाथ मिलाकर 4.5% आरक्षण शामिल होगा.

ङ) अजा/ अजजा/ अपिव (क्रीमी लेयर से इतर)/ आकव के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित रिक्तियों के समक्ष आवेदन कर सकते हैं यदि उनकी श्रेणी के लिए उनके राज्य में रिक्तियाँ आरक्षित नहीं हों. लेकिन उन्हें अनारक्षित अभ्यर्थियों के समान ही आयु और

शैक्षणिक अर्हता संबंधी पात्रता मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य होगा. तथापि वे जहाँ भी लागू होगा शुल्क में रियायत के लिए पात्र होंगे.

परिणाम को अंतिम रूप देते समय विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आरक्षण भारत सरकार के प्रभावी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा.

II. अ. दिव्यांगों के लिए आरक्षण

क्र. सं.	दिव्यांगता का प्रकार	बेंचमार्क निःशक्तता	पदों की संख्या
अ	दृष्टि दिव्यांगता (वीसी)	कमजोर दृष्टि (एलवी)	1
आ	श्रवण बाधा (एचआई)	अल्प श्रवणशक्ति	2
इ	चालन निःशक्तता (एलडी)	प्रमस्तिष्क पक्षाघात सहित चालन निःशक्तता, उपचारित कुष्ठरोग, बौनापन और तेज़ाब आक्रमण पीडित, मांसपेशीय दुर्विकास सहित चालन निःशक्तता (एलडी, सीपी, एलसी, डीडबल्यू, एएवी, एमडी)	2
ई		विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर (एएसडी)	1
उ	बहु दिव्यांगता	प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पदों में श्रव्य - दृष्टि दिव्यांगता सहित श्रेणी (अ) से (इ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में बहु दिव्यांग व्यक्ति	

2. परिभाषाएँ:

i) पूर्व सैनिक

वे अभ्यर्थी पूर्व सैनिक माने जाएँगे जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान अनुदेशों के अनुसार मानदंडों को पूरा करते हैं.

ii) दिव्यांग पूर्व सैनिक: जो सशस्त्र सेनाओं की सेवा में रहते हुए, शत्रु के विरुद्ध या अशांत क्षेत्रों में कार्रवाई के दौरान दिव्यांग हुए हों, उन्हें **दिव्यांग पूर्व** सैनिक माना जाएगा.

iii) सैन्य कार्रवाइयों में हत सैनिकों के आश्रित व्यक्ति : उन सैनिकों को सैनिक सेवा में कार्रवाई के दौरान हत माना जाएगा जो अग्रलिखित प्रकार की कार्रवाइयों में हत हुए हों - (क) युद्ध, (ख) पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम रेखा या किसी अन्य देश के साथ युद्ध जैसी कार्रवाई अथवा सीमा पर हुई मुठभेड़, (ग) विद्रोह के विरुद्ध कार्रवाई के वातावरण जैसे नागालैण्ड, मिजोरम आदि में सशस्त्र दुश्मनों के विरुद्ध संघर्ष, (घ) विदेश में शांति स्थापना मिशन में सेवा, (ङ) किसी कार्रवाई की समाप्ति के एक माह पहले से लेकर तीन माह बाद तक के दौरान बारुदी सुरंगें बिछाने अथवा दुश्मनों द्वारा बिछाई गई सुरंगों को हटाने की कार्रवाई (च) वास्तविक सैन्य कार्रवाई या सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान शीतदंश

लगना, (छ) आंदोलनरत पैरा मिलिटरी बलों से निपटना और (ज) श्रीलंका में सैनिक कार्रवाई के दौरान हत भारतीय शांति सेना के कार्मिक.

नोट:

क. केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जो **31.12.2020** को या उसके पूर्व सशस्त्र सेना से निकले हों/ सेवानिवृत्त हुए हों या जिनके सेना से निकलने/ सेवानिवृत्त होने की संभावना है. उन्हें नाबार्ड में ज्वाइन करने के समय अपना सेवा-मुक्ति पत्र प्रस्तुत करना होगा और साथ ही इस आशय का एक स्व-घोषणा पत्र भी देना होगा कि वे भारत सरकार के नियमों के अनुसार पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों के अधिकारी हैं. जो अभ्यर्थी अपनी सेवा की आरंभिक अवधि पूरी कर चुके हों और विस्तारित सेवा अवधि में हों, उन्हें इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. चुने जाने पर ऊपर उल्लिखित ऐसे सभी अभ्यर्थियों को स्वयं को **31.01.2021** को या उसके पहले सैनिक सेवा से मुक्त कराना होगा.

ख. दिनांक 15 नवंबर 1986 से टेरिटोरियल आर्मी के कार्मिकों को पूर्व सैनिकों के समान माना जाएगा.

ग. पूर्व सैनिक को सरकारी गैर-सैनिक सेवा में पुनर्नियुक्ति के प्रयोजन से आरक्षण का लाभ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36034/1/ 2014 स्थापना (रेस) दिनांक 14 अगस्त 2014 में निहित अनुदेशों के अनुसार उपलब्ध होगा.

घ. सैन्य कार्रवाई में हत सैनिकों के आश्रित आरक्षण के लिए पात्र हैं. निःशक्त हो गए पूर्व सैनिकों और कार्रवाई में हत सैनिकों के आश्रितों के लिए मिलाकर 4.5% रिक्तियाँ आरक्षित हैं. नियुक्ति के मामले में पहली प्राथमिकता दिव्यांग हो चुके पूर्व सैनिकों को दी जाएगी और दूसरी प्राथमिकता सैन्य कार्रवाई में मृत रक्षा कार्मिकों अथवा बहुत अधिक सीमा तक निःशक्त हो गए (रक्षा सेवाओं में हुई निःशक्तता 50% से अधिक) रक्षा कार्मिकों को दी जाएगी. इस सुविधा के प्रयोजन से परिवार के सदस्यों में विधवा, पुत्र, पुत्री या ऐसे निकट संबंधी शामिल होंगे जो परिवार को चलाने के लिए सहमत हों. ऊपरी आयु-सीमा और शैक्षणिक योग्यता में पूर्व सैनिकों/ दिव्यांग पूर्व सैनिकों को उपलब्ध छूट कार्रवाई में हत अथवा बहुत अधिक सीमा तक निःशक्त हो गए सैनिकों के आश्रितों को उपलब्ध नहीं होगी.

iv) दिव्यांग व्यक्ति

नि:शक्त जन अधिकार अधिनियम, 2016 में निहित दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों के लिए लागू दिव्यांगता परिभाषाओं का पालन किया जाएगा.

3. स्क्राइब का उपयोग करने वाले बेंचमार्क निःशक्तता वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश:

दृष्टि बाधित अभ्यर्थी और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी लिखने की गति स्थायी रूप से बाधित है, अपनी लागत पर निम्नलिखित (i) और (ii) में निर्धारित सीमा के अंतर्गत अपने स्क्राइब का उपयोग कर सकते हैं. ऐसे सभी मामलों में जहां स्क्राइब की सहायता ली जाती है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

क. आवेदक को अपनी लागत पर स्क्राइब की व्यवस्था करनी होगी.

ख. अभ्यर्थी द्वारा लिया गया स्क्राइब इसी परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए. यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उक्त नियम का उल्लंघन किया जाता है तो अभ्यर्थी और स्क्राइब दोनों की अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी.

ग. परीक्षा के लिए स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने के लिए पात्र और इच्छुक अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से इस बात का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय उल्लेख करें. बाद में किए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

घ. एक अभ्यर्थी के लिए स्क्राइब का कार्य करने वाला व्यक्ति अन्य अभ्यर्थी के लिए स्क्राइब का कार्य नहीं कर सकता.

ङ. स्क्राइब किसी भी शैक्षणिक विषय का छात्र हो सकता है.

च. परीक्षा के समय अभ्यर्थी और स्क्राइब दोनों बुलावा पत्र के साथ-साथ एक उपयुक्त वचन-पत्र देंगे जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि स्क्राइब ऊपर उल्लिखित सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है. इसके अलावा, यदि बाद में यह पता चलता है कि स्क्राइब ने किसी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया है या महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है, तो आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, चाहे ऑनलाइन परीक्षा/ अंतिम परिणाम कुछ भी हुआ हो.

छ. वचन-पत्र का प्रोफ़ार्मा नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर उपलब्ध है. जो अभ्यर्थी स्क्राइब का उपयोग करते हैं वे परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का या अन्यथा यथासूचित क्षतिपूर्ति समय के पात्र होंगे.

ज. चूँकि अभ्यर्थियों को दिया जाने वाला क्षतिपूर्ति समय व्यवस्था आधारित होगा इसलिए केवल पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही क्षतिपूर्ति समय की सुविधा दी जाएगी. यदि अभ्यर्थी को इस व्यवस्था के लिए पंजीकृत नहीं किया गया है तो परीक्षा का आयोजन करने वाली एजेंसी के लिए क्षतिपूर्ति समय देना संभव नहीं होगा. क्षतिपूर्ति समय के लिए पंजीकृत न किए गए अभ्यर्थी इस प्रकार की सुविधा के लिए पात्र नहीं होंगे.

(i) **चालन निःशक्तता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश**

चालन निःशक्तता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले जिन अभ्यर्थियों की लिखनेवाले हाथ के अग्र भाग की काम करने की क्षमता को कम कर देने वाली है (कम से कम 40% क्षति), उन्हें प्रति घंटा 20 मिनट अथवा अन्यथा यथासूचित क्षतिपूर्ति समय दिया जाएगा.

(ii) **दृष्टि बाधित अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश**

- दृष्टि बाधित अभ्यर्थी (जिनकी अक्षमता 40% से कम नहीं है) यह विकल्प दे सकते हैं कि वे फॉन्ट का आकार बड़ा कर जाँच परीक्षा की विषय-वस्तु को देखें और ऐसे सभी अभ्यर्थी परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट अथवा अन्यथा यथासूचित क्षतिपूर्ति समय के लिए पात्र होंगे.
- फॉन्ट के आकार को बढ़ाकर विषय-वस्तु को देखने की सुविधा का लाभ दृष्टि बाधित अभ्यर्थियों को उपलब्ध नहीं होगा जो परीक्षा के लिए स्क्राइब की सेवाएँ लेते हैं.

अ. दृष्टिबाधित (वीआई): केवल वे दृष्टि बाधित व्यक्ति आवेदन के लिए पात्र हैं जो बेस्ट करेक्शन के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति में हों;

(i) **अल्प दृष्टि हीनता**

(i) बेहतर आँख में करेक्टिंग लेंस 6/18 से अनधिक अथवा 20/60 से कम और10/200 (स्नेलेन) के साथ दृष्टि क्षमता.

(ii) 40 डिग्री से कम 10 डिग्री तक या उससे खराब कोण के साथ दृष्टि का सीमित प्रसार.

आ. श्रवणबाधित (एचआई) :

अल्प श्रवण शक्ति : अर्थात् ऐसे व्यक्ति जिसके दोनों कानों में स्पीच फ्रिक्वेंसि में 60 डीबी से 70 डीबी तक श्रवण बाधित हैं.

इ. चालन निःशक्तता (एलडी): **चालन निःशक्तता (एलडी)**: प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, उपचारित कुष्ठरोगी, बौनापन, मांसपेशीय दिस्ट्रोफी और तेज़ाब हमले से पीड़ित व्यक्तियों सहित मांसपेशीय या अस्थिपंजर के अक्षम होने के कारण स्वयं के या वस्तुओं के चालान से जुड़ी, विशेष कार्य कर पाने में व्यक्ति की अक्षमता. ओर्थोपेडिक बाधा वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित बेंच मार्क वाली चालन निःशक्तता के अंतर्गत शामिल किया जाएगा :

क. एक बाँह- एक बाँह प्रभावित (दाहिना या बायाँ)

ख. एक पैर - एक पैर प्रभावित (दाहिना या बायाँ)

'एक बाँह' और 'एक बाँह और एक पैर' प्रभावित वाली श्रेणी के व्यक्तियों का बाइलैटरल हैंड फंक्शन सामान्य होना चाहिए.

(i) **"उपचारित कुष्ठरोग वाले व्यक्ति"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके कुष्ठरोग का उपचार किया जा चुका है. लेकिन जो निम्नलिखित से पीड़ित है:

(क) हाथों या पैरों में संवेदना का अभाव साथ ही आँख और पलकों में संवेदना का अभाव तथा पेशीगत पक्षाघात लेकिन कोई प्रकट विरूपता नहीं;

(ख) प्रकट विरूपता और पेशीगत पक्षाघात लेकिन हाथों और पैरों में इतनी पर्याप्त चलन क्षमता जिससे वह सामान्य आर्थिक गतिविधि संचालित कर सके;

(ग) अत्यधिक शारीरिक विरूपता और बड़ी उम्र जो उसे कोई लाभप्रद पेशा अपनाने से रोकती है और 'उपचारित कुष्ठरोगी' अभिव्यक्ति का आशय तदनुसार होगा.

(ii) **"प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात"** से ऐसा नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलोजिकल स्थितियों का समूह अभिप्रेत है जो शरीर के चालन और मांस पेशियों के बीच समन्वय को प्रभावित करता है और ऐसा जन्म के पहले या उसके दौरान या उसके तुरंत बाद सामान्यतः मस्तिष्क के किसी एक या अधिक विशेष हिस्सों में हुई क्षति के कारण होता है;

(iii) **"बौनापन"** से ऐसी चिकित्सीय या आनुवांशिक स्थिति अभिप्रेत है जिससे वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सें.मी.) या उससे कम होती है;

(iv) **"पेशीय डिस्ट्रोफी"** से ऐसा आनुवांशिक पेशीय रुग्णता समूह अभिप्रेत है जो मानव शरीर को चलाने वाली पेशियों को कमजोर करता है और बहु डिस्ट्रोफी से प्रभावित व्यक्तियों में जीन संबंधी कुछ अशुद्धता या अभाव होता है जिसके कारण स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन नहीं बन पता. इसके लक्षण हैं स्केलेटल पेशियों में बढ़ती हुई कमजोरी, पेशीगत प्रोटीन में त्रुटि और पेशियों के सेल्स और टिशूज़ का मृत हो जाना;

(v) **"एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्ति"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो एसिड या इसी प्रकार की घातक वस्तु के हिंसक आक्रमण से विरूपित हो गया हो.

ई. इस श्रेणी में केवल वही व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र हैं जिन्हें निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की विकलांगता है :

(i) "विशिष्ट ज्ञानार्जन अक्षमता" (एसएलडी) : इससे ऐसी स्थितियों के बहुविध समूह अभिप्रेत हैं जिनमें लिखित या मौखिक भाषा को समझने में कमी होती है जिसका प्रकटन भाषा को समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी में और अंकों की गणना करने में कठिनाई होती है. इसमें अवधारणात्मक अक्षमताएँ, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और डेवलपमेंटल अफासिया शामिल हैं.

(ii) "ऑटिज़्म, स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर" (एएसडी) : इससे ऐसी तंत्रिका विकास की ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जो 3 वर्ष की उम्र तक सामने आती हैं और व्यक्ति की सम्प्रेषण क्षमता, रिश्तों की समझ और अन्य व्यक्तियों से संबंध स्थापित करने की क्षमता को काफी हद तक प्रभावित करती है और इसमें असामान्य या एक ही प्रकार के कार्य या व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है.

उ. "बहु-अक्षमता" अर्थात् निर्दिष्ट अक्षमताओं में से दो या अधिक अक्षमताओं का संयोग अभिप्रेत है जिनकी सूची निम्नानुसार है:

क्र.	**अक्षमता**	**क्र.**	**अक्षमता**
1	कम-दृष्टि	10	विशिष्ट ज्ञानार्जन अक्षमता
2	उपचारित कुष्ठरोगी	11	मल्टीपल-स्लेरोसिस
3	श्रवण क्षतिग्रस्तता (कम सुनाई देना)	12	उच्चारण और भाषागत अक्षमता
4	चालन अक्षमता	13	थेलेसेमिया
5	बौनापन	14	हेमोफीलिया
6	ऑटिज़्म, स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर	15	सिकल सेल रोग
7	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात	16	एसिड आक्रमण से पीड़ित
8	पेशीय डिस्ट्रोफी	17	पार्किंसन रोग
9	क्रोनिक न्यूरोलोजिकल स्थितियाँ		

नोट : केवल 'बेंचमार्क विकलांगता' (पीडबल्यूबीडी) वाले व्यक्ति ही जिनकी विकलांगता उन मामलों में जिनमें मापने योग्य रूप से विशिष्ट विकलांगता को परिभाषित न किया गया हो,

40% से कम न हो, आरक्षण के लिए पात्र होंगे और इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिनकी विकलांगता मापने योग्य रूप में परिभाषित की गई है और वह प्रमाणनकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई है.

जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें चिकित्सा प्राधिकारी अथवा आवेदन में उल्लिखित आवास प्रमाणपत्र में दिए गए आवेदक के आवास के जिले में किसी अन्य अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी (प्रमाणनकर्ता प्राधिकारी) द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में अद्यतन विकलांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. **प्रमाणपत्र आवेदन के पंजीकरण के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को या उसके पहले दिनांकित होना चाहिए.**

उपर्युक्त दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों/ स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों, के अधीन है.

III. पात्रता मानदंड: शैक्षणिक अर्हता (01.12.2019 को)

i. अभ्यर्थी को, जिस राज्य/ कार्यालय के लिए वह आवेदन कर रहा/ रही है उससे संबंधित राज्य/ संघ क्षेत्र से 10वीं कक्षा (एसएससी/ मैट्रिक्यूलेशन) उत्तीर्ण होना चाहिए. यह अर्हता मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राप्त होनी चाहिए.

ii. **इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को वह जिस क्षेत्रीय कार्यालय के लिए आवेदन कर रहा/ रही है उसके कार्यक्षेत्र में आनेवाले राज्य/ संघ क्षेत्र का अधिवासी होना चाहिए. बैंक को यह अधिकार है कि वह अभ्यर्थी के अधिवास स्थान के लिए कोई समर्थनकारी दस्तावेज़ माँग सके.**

iii. **स्नातक और उससे उच्चतर अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं.** अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में/ नियुक्ति के समय और/ या भर्ती प्रक्रिया के दौरान बैंक द्वारा माँगे जाने पर एक स्वघोषणा पत्र देना होगा.

iv. पूर्व सैनिक श्रेणी के कम से कम 10वीं कक्षा (एसएससी/ मैट्रिक्यूलेशन) उत्तीर्ण होना चाहिए और रक्षा सेवा में 15 वर्ष की सेवा दे चुका होना चाहिए बशर्ते वह सशस्त्र सेनाओं से बाहर स्नातक न हुआ हो.

टिप्पणी:

क) विभिन्न राज्यों के लिए एक से अधिक आवेदनों के मामले में सबसे अंत में प्रस्तुत आवेदन को वैध माना जाएगा और अन्य सभी आवेदनों के लिए दिए गए शुल्क को जप्त कर लिया जाएगा.

ख) अभ्यर्थी को 01 दिसंबर 2019 को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त होनी चाहिए. आवश्यक शैक्षणिक अर्हता 10वीं कक्षा (एसएससी/ मैट्रिक्यूलेशन) परीक्षा का परिणाम 01 दिसंबर 2019 को या उसके पहले घोषित होना चाहिए. दूसरे शब्दों में जिन अभ्यर्थियों के मामले में 10वीं कक्षा (एसएससी/ मैट्रिक्यूलेशन) परीक्षा का परिणाम 02 दिसंबर 2019 को या उसके बाद घोषित हुआ हो वे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे.

IV. आयु (01.12.2019 को)

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.12.2019 को 18 और 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म दिनांक 02.12.1989 से पहले और दिनांक 02.12.2001 (दोनों दिन शामिल) के बाद नहीं हुआ होना चाहिए.

ऊपरी आयु सीमा में छूट

ऊपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी जाएगी:

क्रम सं.	श्रेणी	आयु सीमा में छूट
(i)	अजा/ अजजा	5 वर्ष अर्थात् 35 वर्ष तक
(ii)	अपिव	3 वर्ष अर्थात् 33 वर्ष तक
(iii)	दिव्यांग	10 वर्ष (सामान्य), 13 वर्ष (अपिव) और 15 वर्ष (अजा/अजजा)
(iv)	पूर्व सैनिक	सशस्त्र सेनाओं में की गई सेवा की सीमा तक और उसके अलावा 50 वर्ष की अधिकतम आयु के अधीन 3 वर्ष की अतिरिक्त अवधि
(v)	विधवा महिलाएँ/ तलाक़शुदा महिलाएँ/ न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएँ जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया.	10 वर्ष
(vi)	ऐसे अभ्यर्थी जो पहली जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1979 तक जम्मू और कश्मीर राज्य के कश्मीर डिवीजन के समान्यतः अधिवासी रहे थे.	5 वर्ष

टिप्पणी: आयु सीमा में संचयी छूट न उक्त मदों के अंतर्गत मिलेगी और न किसी अन्य मद के साथ संयुक्त रूप से.

जिन अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट चाहिए उन्हें दस्तावेजों के सत्यापन के समय आवश्यक प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी.

जाति संबंधी मानदंड

अजा/अजजा/अपिव के रूप में आरक्षण चाहने वाले अभ्यर्थियों को सिर्फ भारत सरकार के अंतर्गत आनेवाले पदों की नियुक्ति के लिए नामित प्राधिकारी से अभ्यर्थी के जाति को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने संबंधी निर्धारित प्रोफ़ार्मा में ही प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. उस प्रमाणपत्र में संबन्धित अधिनियम/ आदेश में जाति को अजा/अजजा/अपिव के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो और संबन्धित अभ्यर्थी जिस गाँव/ शहर का निवासी हो उसका उल्लेख होना चाहिए. वे यह भी सुनिश्चित करें कि उनकी जाति/ समुदाय का नाम तथा उनके जाति/ समुदाय प्रमाणपत्र में उसकी वर्तनी वैसी ही होनी चाहिए जैसे समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा सूची में अधिसूचित किया गया हो. (अपिव श्रेणी के लिए केंद्रीय सूची में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जातियों की सूची में अपिव जाति के रूप में मान्यता प्राप्त जो www.ncbc.nic.in पर उपलब्ध है, अजजा श्रेणी के लिए प्रत्येक राज्य के लिए जातियों की

सूची www.ncst.nic.in की साइट पर उपलब्ध है और प्रत्येक राज्य के लिए अजा श्रेणी की जतियों की सूची www.socialjustice.nic.in की साइट पर उपलब्ध है. जिस प्रमाणपत्र में जाति के नाम में कोई अंतर दिखाई देता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके अलावा अपिव प्रमाणपत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि अभ्यर्थी, केंद्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं के लिए आवेदन हेतु भारत सरकार द्वारा यथा परिभाषित क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आता/आती.

अभ्यर्थी के अपिव होने से संबन्धित दावे को उसके पिता मूल रूप से किस राज्य (अथवा राज्य का भाग) से संबंधित हैं उसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा. जिस अभ्यर्थी ने एक राज्य (अथवा राज्य का भाग) से दूसरे राज्य में स्थालांतर किया है उसे एक अपिव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जो उसके पिता के अपिव प्रमाणपत्र पर आधारित होना चाहिए और उस प्रमाणपत्र में उसके पिता के मूल राज्य का उल्लेख होना चाहिए.

अभ्यर्थी द्वारा इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन में पहले ही उल्लेख की गई समुदाय की स्थिति में कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. आयु सीमा में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ के सत्यापन के समय आवश्यक प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आकव) के लिए आरक्षण :

जो व्यक्ति अजा, अजजा और अपिव के लिए आरक्षण की योजना में शामिल नहीं है और जिसके परिवार की सकल वार्षिक आमदनी रु. 8.00 लाख (रुपए आठ लाख) से कम है और जो भारत सरकार के आकव मानदंडों को पूरा करते हैं उनकी पहचान आरक्षण के लाभ के लिए आकव के रूप में की जानी है. आय में सभी स्रोतों, अर्थात् वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि से आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष की आय शामिल होगी.

इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के परिवार के पास निम्नलिखित आस्तियों में से कोई भी आस्ति होगी उन्हें आकव के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा चाहे उनकी पारिवारिक आय कितनी भी क्यों न हो:

i. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
ii. 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
iii. अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट;
iv. अधिसूचित नगरपालिका से भिन्न क्षेत्र में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट;

भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आकव) के लिए आरक्षण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36039/ 1/ 2019 - इस्ट. (रिज़.) से संचालित होगा.

प्रत्याख्यान: *आकव रिक्तियाँ अनुमानित हैं और भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों के तथा किसी वाद के निर्णय के अधीन हैं. नियुक्ति अस्थायी होगी और आय और आस्ति प्रमाणपत्र के उचित माध्यमों से सत्यापन के अधीन होगी.*

आकव श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'आय और आस्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने पर लिया जा सकेगा. आकव के अंतर्गत आरक्षण का लाभ लेने वाले आवेदकों को 01 अप्रैल 2019 को या उसके बाद जारी आकव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.

ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों/ स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों, की शर्तों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है.

v. चयन की प्रक्रिया:

अ. दो चरणों में ली जाने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं (नीचे दिए गए अनुसार) और भाषा प्रवीणता परीक्षा (एलपीटी) के आधार पर चयन किया जाएगा.

प्रारम्भिक परीक्षा (ऑनलाइन)

क्रम सं.	जाँच **परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) का नाम**	**प्रश्नों की संख्या**	**अधिकतम अंक**	**कुल समय**
1	तर्क शक्ति की परीक्षा	30	30	कुल 90 मिनट
2	अंग्रेजी भाषा	30	30	
3	सामान्य जानकारी	30	30	
4	आंकिक योग्यता की परीक्षा	30	30	
	योग	120	120	

मुख्य ऑनलाइन परीक्षा

क्रम सं.	जाँच **परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) का नाम**	**प्रश्नों की संख्या**	**अधिकतम अंक**	**कुल समय**
1	तर्क शक्ति की परीक्षा	35	35	**कुल 120 मिनट**
2	संख्यात्मक अभिक्षमता	35	35	
3	सामान्य जानकारी	50	50	
4	अंग्रेजी भाषा	30	30	
	योग	**150**	**150**	

<u>परीक्षा योजना</u> :

i. अंग्रेज़ी/ हिन्दी भाषा को छोड़कर प्रारंभिक और मुख्य ऑनलाइन परीक्षा द्विभाषी रूप में अर्थात् अंग्रेज़ी और हिंदी में उपलब्ध होगी.

ii. प्रारंभिक परीक्षा केवल अर्हता के लिए होगी और इसका आशय जाँच परीक्षा से है. जो अभ्यर्थी एकल परीक्षाओं और समग्रत: दोनों में पर्याप्त उच्च अंक हासिल करते हैं, केवल उन्हें ही मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक के आधार पर निर्धारित कट-ऑफ के अनुसार अधिकतम 1:25 के अनुपात में बुलाया जाएगा. इसी प्रकार, जो अभ्यर्थी

मुख्य परीक्षा में कट-ऑफ अंक अथवा इससे अधिक अंक हासिल करते हैं, उन्हें ही चयन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

iii. परीक्षा के दोनों चरणों में वस्तुनिष्ठ परीक्षा में गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएँगे. ***परीक्षा में एक गलत उत्तर के लिए एक चौथाई अंक दंड के रूप में घटा लिया जाएगा.***

iv. परीक्षा से संबंधित अन्य विस्तृत सूचना एक सूचना पुस्तिका में दी जाएगी जिसे अभ्यर्थी अपने परीक्षा के कॉल-लेटर के साथ नाबार्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

v. अभ्यर्थियों का अंतिम चयन ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर उनकी योग्यता और बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर किया जाएगा. इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा. चयन के लिए अस्थायी रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी. पद के लिए निर्धारित योग्यता और ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत सूचना की जाँच के बाद ही नियुक्ति की जाएगी.

vi. सही और गलत उत्तरों में समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए विभिन्न अभ्यर्थियों के उत्तरों का विश्लेषण किया जाएगा. यदि इस विश्लेषण से यह साबित होता है/ निष्कर्ष निकलता है कि उत्तरों को साझा किया गया है और इस प्रकार प्राप्त अंक प्रामाणिक/ वैध नहीं हैं, तो आप की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है. यदि कोई अभ्यर्थी नकल करता हुआ अथवा सहायता लेता या देता हुआ या किसी अशोभनीय कृत्य में संलिप्त पाया जाता है, तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा. नाबार्ड ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अन्य अपेक्षित कार्रवाई कर सकता है.

vii. यदि कोई अभ्यर्थी पररूपधारी हो अथवा जिसे नाबार्ड द्वारा प्रतिरूपण या छेड़छाड़ किए गए जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने, त्रुटीपूर्ण अथवा असत्य वक्तव्य देने अथवा कोई महत्वपूर्ण सूचना छुपाने अथवा परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई अन्य अनियमित या गलत तरीका अपनाने अथवा परीक्षा भवन में अनुचित तरीका अपनाने का प्रयास करने अथवा परीक्षा भवन में अभद्र व्यवहार करने का दोषी घोषित किया गया हो, उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशिष्ट अवधि के लिए वंचित कर दिया जाएगा.

viii. चयन के लिए अर्हताप्राप्त जो अभ्यर्थी 10वीं अथवा 12वीं कक्षा का ऐसा अंकपत्र/ प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें एक विषय के रूप में राजभाषा इंगित हो, उनकी भाषा दक्षता परीक्षा नहीं ली जाएगी. अन्य अभ्यर्थियों के मामले में (जो चयन के लिए अर्हता प्राप्त हों) भाषा दक्षता परीक्षा मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद परंतु ऑफर पत्र जारी किए जाने से पहले संबन्धित राज्य के क्षेत्रीय कार्यालय में ली जाएगी. जो अभ्यर्थी राजभाषा में दक्ष नहीं पाए जाएँगे उन्हें अनर्ह घोषित किया जाएगा.

ix. भाषा दक्षता परीक्षा (एलपीटी) अर्हता प्रकार की होगी. ऑनलाइन परीक्षा में अनंतिम रूप से चयनित/ शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी को एक ऑनलाइन भाषा दक्षता परीक्षा देनी होगी.

x. संबंधित राज्य (क्षेत्रीय कार्यालय) (अनुबंध - II) की राजभाषा में एलपीटी आयोजित की जाएगी. **जो अभ्यर्थी राजभाषा/ स्थानीय भाषा में प्रवीण नहीं होंगे उन्हें अनर्ह घोषित किया जाएगा.**

xi. परीक्षा से संबंधित अन्य विस्तृत सूचना एक सूचना हैंड आउट में दी जाएगी जिसे अभ्यर्थियों द्वारा बुलावा पत्र के साथ नाबार्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है.

xii. **ऑनलाइन परीक्षा** के आधार पर एलपीटी में सफल अभ्यर्थियों का रोल नंबर नाबार्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा. संक्षिप्त सूचना के साथ एलपीटी की तारीख वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी.

xiii. अंतिम चयन ऑनलाइन परीक्षा के निष्पादन, एलपीटी में अर्हता प्राप्त करने, चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होने, प्रमाणपत्रों और बायोमैट्रिक डाटा के सत्यापन आदि के आधार पर बैंक की संतुष्टि पर निर्भर करेगा. इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा.

किसी राज्य/ कार्यालय के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को नीचे दिए गए कार्यालय के अंतर्गत आने वाले संबंधित राज्य/ संघ शासित प्रदेश की राजभाषा/ भाषाओं (अर्थात् राजभाषा/ राजभाषाओं को पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने की जानकारी) में प्रवीणता प्राप्त होना चाहिए.

1) अभ्यर्थियों के नियुक्ति के समय और/ अथवा भर्ती प्रक्रिया के दौरान मांगे जाने पर ऑनलाइन आवेदन में संबंधित कार्यालय के अंतर्गत आने वाले राज्य/ संघ शासित प्रदेश की राजभाषा/ राजभाषाओं (अर्थात् राजभाषा/ राजभाषाओं को पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने की जानकारी) प्रवीणता से संबंधित स्व-घोषणा करनी होगी.

2) बैंक किसी / सभी कार्यालयों में भाषा दक्षता परीक्षा का आयोजन करेगा. अभ्यर्थी/ अभ्यर्थियों को यह परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है अन्यथा उसकी अभ्यर्थिता/ नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी.

3) ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और नाबार्ड द्वारा यथा निर्धारित अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे उन्हें गुणवत्ता के आधार पर चयन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

कट-ऑफ अंक दो स्तरों पर लागू होंगे : (i) वैयक्तिक परीक्षाओं में प्राप्त अंक पर, (ii) कुल अंक पर चूँकि रिक्तियाँ राज्य-वार निर्धारित की गई हैं इसलिए गुणवत्ता सूची भी राज्य-वार तैयार की जाएगी.

<u>चयन प्रक्रिया</u>:

i. अंतिम चयन के लिए राज्य-वार योग्यता सूची तैयार की जाएगी. प्रारंभिक परीक्षा (चरण I) में प्राप्त अंकों को चयन के लिए अंतिम योग्यता सूची तैयार करने के लिए नहीं जोड़ा

जाएगा. केवल मुख्य परीक्षा (चरण-II) के वस्तुनिष्ठ परीक्षा और विवरणात्मक परीक्षा दोनों में प्राप्त अंकों को अंतिम योग्यता सूची तैयार करने के लिए जोड़ा जाएगा.

ii. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में समाधान निकालना: यदि एक से अधिक अभ्यर्थी एक-समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उच्च शैक्षणिक योग्यता (केवल पूर्वस्नातक योग्यता) अथवा समान योग्यता के मामले में 12वीं/ 10वीं में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्चतर माना जाएगा. इसके बाद भी समान अंक हो जाने पर उच्चतर आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी.

iii. प्रतीक्षा सूची: रिक्तियों के 50% तक (राज्य-श्रेणी वार) अथवा न्यूनतम ***तीन*** अधीन प्रतीक्षा सूची रखी जाएगी. केवल चुने गए अभ्यर्थियों की सूची के अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा. पैनल की वैधता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयन सूची के अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा कार्यालय परिचारक के लिए अगली भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित करने की तिथि में जो भी पहले हो उससे एक वर्ष की अवधि के लिए होगी.

नोट : ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा अन्य अभ्यर्थियों से सहायता लेने की संभावना से बचाने के लिए बैंक सही और गलत उत्तरों की समानता की पद्धति का पता लगाने के लिए परीक्षा में शामिल हुए अन्य अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण करेगा. इस विश्लेषण के आधार पर, यदि संदेह जताया जाता है कि उत्तरों को साझा किया गया है और प्राप्त अंक वाजिब/ वैध नहीं हैं तो बैंक संदेहास्पद अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को निरस्त करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है. अतः अभ्यर्थियों को उनके हित में सुझाव दिया जाता है कि परीक्षा में किन्हीं अनुचित कार्य में संलिप्त न हों.

बायोमेट्रिक डाटा - कैप्चर और सत्यापित करना

परीक्षा के पहले और मुख्य ऑनलाइन परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डाटा (अँगूठे का इम्प्रैशन) और फोटोग्राफ ले लिया जाएगा. जिसका सत्यापन परीक्षा के बाद और एलपीटी के दिन किया जाएगा. **इसके अलावा, बाद में इसका अनुवर्ती सत्यापन भी किया जाएगा.**

बायोमेट्रिक डाटा की स्थिति (समानता और अंतर) के संबंध में बायोमेट्रिक डाटा के सत्यापन प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा.

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि बायोमेट्रिक सत्यापन सुचारु रूप से हो इसके लिए निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में सावधानी बरतनी होगी :

क) यदि उँगलियों पर कोई कोट (मुहर की स्याही/ मेहंदी/ रंग आदि) दिया गया हो तो कृपया यह सुनिश्चित करें कि उनको स्वच्छ कर लें ताकि परीक्षा से पहले वह कोट समाप्त जाए.

ख) यदि उँगलियाँ गंदी हैं या उनपर धूल लगी हुई है तो उन्हें स्वच्छ कर लें और फिंगर प्रिंट (बायोमेट्रिक) लेने से पहले उनको सुखा लें.

ग) सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की उँगलियाँ सूखी हों, यदि गीली हों तो सभी उँगलियों को पोंछकर सुखा लें.

घ) यदि कैप्चर किया जाने वाला अँगूठा दुर्घटनाग्रस्त/ क्षतिग्रस्त है तो तत्काल परीक्षा केंद्र पर संबन्धित प्राधिकारी को सूचित करें. इस प्रकार के मामले में अन्य उँगलियों, पैर की उँगलियों आदि के इंप्रेशन को कैप्चर किया जा सकता है.

VI. अजा/अजजा/अपिव/ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण

नाबार्ड, अजा/अजजा/अपिव/दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सीमित संख्या में अभ्यर्थियों के लिए कुछ केन्द्रों में भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है. उक्त श्रेणियों के जो अभ्यर्थी उक्त प्रशिक्षण का लाभ लेना चाहते हैं वे अपने राज्य के क्षेत्रीय कार्यालय/ मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय को लिख सकते हैं. भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के बारे में संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा. संबंधित भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण केंद्र पर भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए यात्रा, भोजन, आवास आदि से संबंधित समस्त व्यय अभ्यर्थियों को वहन करने होंगे. अभ्यर्थियों के प्रतिसाद और प्रशासनिक व्यवहार्यता के आधार पर किसी भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण केंद्र को छोड़ देना और/ या किसी नए केंद्र को शामिल करना और/ या वैकल्पिक व्यवस्था करना नाबार्ड के अधिकार में होगा. इस प्रशिक्षण के लिए आवेदन का फॉर्मेट नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर उपलब्ध है. भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण के लिए आवेदन हमारे कार्यालयों को दिनांक **14 जनवरी 2019** को या उसके पहले मिल जाने चाहिए.

नाबार्ड कार्यालयों के पते जहाँ आवेदन भेजे जा सकते हैं:

1. आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, 1-1-61, आरटीसी क्रॉस रोड, मुशीराबाद, हैदराबाद - 500020
2. अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, बैंक तिनाली वीआईपी रोड, पोस्ट बॉक्स सं. 133, इटानगर- 791111, अरुणाचल प्रदेश
3. छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, अनन्या, प्लॉट नंबर 01, सेक्टर-24, सेंट्रल पार्क के सामने, अटल नगर, नवा रायपुर - 492 101, छत्तीसगढ़.
4. गोवा क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, निझारी भवन, मेनजेस ब्रेगंजा रोड, पणजी - 403001, गोवा
5. गुजरात क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, नाबार्ड टॉवर, म्युनिसिपल गार्डन के सामने, उस्मानपुरा, अहमदाबाद - 380 013
6. हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, प्लाट सं.3, सेक्टर 34-ए, चंडीगढ़ - 160 022
7. हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, ब्लॉक नंबर 32, एस डी ए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, देव नगर, कुसुमपट्टी, शिमला - 171009, हिमाचल प्रदेश.
8. जम्मू और कश्मीर क्षेत्रीय कार्यालय, रेलवे रोड, रेलहेड कॉम्प्लेक्स, सरस्वती धाम के पास, जम्मू - 180012, जम्मू और कश्मीर.
9. कर्नाटक क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, नाबार्ड टॉवर, 46, के जी रोड, बेंगलुरू - 560 009

10. बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान, मंगलुरु, बर्ड कॅम्पस, विमेन पोलिटेकनिक के पीछे, कृष्ण नगर रोड, बोन्देल, मंगलुरु - 575008.
11. केरल क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, पुन्नेन रोड स्टेच्यू, तिरुवनंतपुरम - 695 039
12. नाबार्ड प्रधान कार्यालय, प्लॉट सी-24, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
13. मेघालय क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, 'यू' फीट खारमीहपेन भवन, दूसरी और तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 28(2), धनखेती, लॉ कॉलेज के पास, शिलांग - 793 003
14. मिज़ोरम क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, रामलून रोड (नॉर्थ), बांगवन, आइज्वाल, मिज़ोरम - 796012
15. नागालैंड क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, 4थी मंज़िल, वेस्ट विंग, एड्मिनिस्ट्रेटिव एनएससीबी बिल्डिंग, खेर महल, सर्कुलर रोड, दीमापुर, नागालैंड - 797112
16. नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, 24, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110 008, नई दिल्ली.
17. ओडिशा क्षेत्रीय कार्यालय, अंकुर 2/1, नयापल्ली, सिविक सेंटर, पोस्ट बॉक्स 179, भुवनेश्वर - 751015, ओडिशा.
18. राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, 3, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर - 302 015
19. तेलंगाणा क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, 1-1-61, आरटीसी क्रॉस रोड, मुशीराबाद, हैदराबाद - 500020
20. उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, 11, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010
21. उत्तराखंड क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, 42, आईटी पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून - 248 013
22. त्रिपुरा क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, शिल्प निगम भवन, ताल मंज़िल, पोस्ट ऑफिस कुंजबन, पोस्ट बॉक्स नंबर 9, खजूर बागान, अगरतला, त्रिपुरा - 799006.

प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र

मुख्य महाप्रबंधक, स्थान:
राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक
दिनांक :
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
**__________________

महोदय

<u>परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण - ग्रुप 'सी' में कार्यालय परिचारक</u>

मैंने उक्त पद के लिए आवेदन किया है. मेरा पंजीकरण/ क्रम सं. ------------ है. आपसे अनुरोध है कि आप अंग्रेजी/ हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण हेतु मेरा नाम पंजीकृत करें. मैंने जाति/ शारीरिक निःशक्तता प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति और मेरे द्वारा किए गए भुगतान के शुल्क की रसीद की प्रति संलग्न की है. मैं यह नोट करता हूँ कि मुझे अपने ठहरने की व्यवस्था और अपने सभी व्ययों को पूरा करने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी. मैं यह भी नोट करता हूँ कि प्रशिक्षण में भाग लेने से मुझे परीक्षा में बुलाए जाने या बैंक की सेवा में भर्ती के लिए कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है.

भवदीय
(हस्ताक्षर)
नाम और पता
ई-मेल आईडी
मोबाइल नंबर
संलग्न : जाति/ शारीरिक निःशक्तता प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति/ शुल्क की रसीद
$जो लागू न हो उसे काट दें.

(टिप्पणी: पर्याप्त संख्या में अनुरोध प्राप्त होने पर हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जाएगा.)

VII. परीक्षा केन्द्र

1) ऑनलाइन परीक्षा अनुबंध III निर्दिष्ट किए गए अनुसार सभी राज्यों के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएगी. अभ्यर्थियों ने जिस राज्य के लिए आवेदन किया है, उसी राज्य के भीतर एक केंद्र के लिए उन्हें परीक्षा के लिए विकल्प देना होगा.
2) संबंधित राज्य के किसी स्थान/ स्थानों पर मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी. तथापि, बुनियादी सुविधा से संबंधित किन्हीं अप्रत्याशित मामलों में केन्द्रों को दूसरे स्थानों पर अंतरित/ संयुक्त/ समामेलित कर दिया जाएगा.
3) नाबार्ड, विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, प्रशासनिक साध्यता आदि को ध्यान में रखते हुए किसी भी परीक्षा केंद्र/ केन्द्रों को निरस्त कर देने और/ अथवा कुछ और केन्द्रों को जोड़ देने का अधिकार नाबार्ड के पास सुरक्षित है.
4) संबंधित बुलावा पत्रों में दिए गए स्थानों पर ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.
5) परीक्षा के लिए केंद्र/ स्थान/ तारीख/ सत्र के परिवर्तन संबंधी किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.
6) तथापि नाबार्ड, विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, प्रशासनिक साध्यता आदि को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक से किसी परीक्षा केंद्र/ केन्द्रों को निरस्त कर देने और/ अथवा कुछ और केन्द्रों को जोड़ देने का अधिकार नाबार्ड के पास सुरक्षित है.
7) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के लिए दिए गए विकल्प के अलावा अन्य परीक्षा केंद्र आबंटित करने का अधिकार भी नाबार्ड के पास सुरक्षित है.
8) अभ्यर्थी अपनी जोखिम और व्ययों पर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के लिए उपस्थित होगा और अभ्यर्थी के घायल हो जाने अथवा उसको कुछ नुकसान पहुँचने इत्यादि के मामले में नाबार्ड किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा.
9) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र के लिए एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा.

यदि पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी 'ऑनलाइन' परीक्षा के लिए विशिष्ट केंद्र का विकल्प नहीं चुनते हैं तो उन अभ्यर्थियों को नजदीकी दूसरा केंद्र आबंटित करने अथवा किसी केंद्र पर ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपलब्ध क्षमता से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों की संख्या होने पर अभ्यर्थियों को कोई अन्य केंद्र आबंटित करने का अधिकार नाबार्ड के पास सुरक्षित है.

यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है तो सभी सत्रों में प्रयुक्त विभिन्न टेस्ट बैटरियों के कठिनाई स्तर के मामूली अंतर को समायोजित करने के लिए विभिन्न सत्रों के स्कोर को समान स्तर पर लाया जाएगा. यदि किसी केन्द्र या किसी अभ्यर्थी के लिए नोड्स की क्षमता कम है या कोई तकनीकी व्यवधान उत्पन्न होता है तो परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाएगी.

टिप्पणी : अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र के लिए ऑनलाइन आवेदन में अपनी पसंद के केन्द्र के बारे में निर्दिष्ट करें. अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के आधार पर नाबार्ड द्वारा केन्द्रों की संख्या के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा. किसी केन्द्र पर परीक्षा रद्द किए जाने की स्थिति में नाबार्ड अपने विवेक से संबंधित अभ्यर्थियों को किसी वैकल्पिक केन्द्र का आबंटन करेगा. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपयुक्त समय पर बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.nabard.org में प्रदान किए गए लिंक से प्रवेश पत्रों को डाउनलोड

कर लेना चाहिए. प्रवेश पत्र के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.

परीक्षा संचालित करने के दौरान कुछ समस्या घटित होने की संभावना से पूर्ण रूप से इंकार नहीं किया जा सकता जिसके कारण टेस्ट डिलीवरी और/अथवा परिणाम प्रभावित हो सकता है. ऐसी स्थिति में समस्या को सुधारने हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा जिसमें अभ्यर्थियों को अन्य केन्द्रों पर भेजना अथवा आवश्यकतानुसार नए सिरे से परीक्षा संचालित करना शामिल है. इस संबंध में नाबार्ड का निर्णय अंतिम होगा. जो अभ्यर्थी इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, वे परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता से वंचित हो जाएँगे.

IX. परिलब्धियाँ और सेवाशर्तें

(क) वेतनमान: चयनित अभ्यर्थी ग्रुप 'सी' में कार्यालय परिचारक के लिए लागू रु. 10940 - 380 (4) - 12460 - 440 (3) - 13780 - 520 (3) 15340 - 690 (2) - 16720 - 860 (4) - 20160 - 1180 (3) - 23700 के वेतन मान में प्रारंभिक मूल वेतन रु.10940/- प्रति माह आहारित करेंगे और वे समय-समय पर लागू महंगाई भत्ता, स्थानीय क्षतिपूर्ति भत्ता, आवास किराया भत्ता और ग्रेड भत्ता हेतु पात्र होंगे. वर्तमान में प्रारंभिक मासिक सकल परिलब्धियाँ लगभग रु.24,000/- प्रति माह होंगी.

(ख) अनुलाभ : उपलब्ध अनुलभों में शामिल हैं - पात्रता के अनुसार और उपलब्धता के अधीन नाबार्ड की आवासीय सुविधा, कार्यालयीन उद्देश्य हेतु रखे गए वाहन हेतु पेट्रोल की प्रतिपूर्ति, समाचार पत्र, ब्रीफकेस, पुस्तक अनुदान, आवास सज्जा के लिए भत्ता आदि; पात्रता के अनुसार बाहरी उपचार/ अस्पताल में भर्ती होने संबंधी चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के साथ-साथ डिस्पेंसरी सुविधा; ब्याज मुक्त त्योहार अग्रिम, छुट्टी किराया सुविधा (स्वयं, पति/पत्नी और पात्र आश्रितों के लिए दो वर्ष में एक बार), आवास, कार, शिक्षा, उपभोक्ता वस्तुओं, पर्सनल कंप्यूटर आदि हेतु रियायती दरों पर ऋण और अग्रिम आदि. पद हेतु चयनित अभ्यर्थी ग्रेच्यूटी और समूह-बीमा के लाभों के साथ-साथ 'परिभाषित अंशदायी नई पेंशन योजना (एनपीएस)' से संचालित होंगे.

(ग) चयनित अभ्यर्थी की प्रारंभिक नियुक्ति 06 महीनों के लिए परिवीक्षाधीन होगी, जिसे बैंक अपने विवेक के आधार पर आगे और 06 महीनों की अधिकतम अवधि के लिए बढ़ा सकता है.

(घ) चयनित अभ्यर्थियों को आरंभ में नाबार्ड के प्रधान कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय में जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है, पदस्थापित किया जाएगा.

X. आवेदन कैसे करें:

विस्तृत दिशा-निर्देश/प्रक्रिया

अ. **आवेदन पंजीकरण**

आ. **शुल्क भुगतान**

इ. **दस्तावेज़ को स्कैन और अपलोड करना**

अभ्यर्थी 25 दिसंबर 2019 से 12 जनवरी 2020 के दौरान केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अन्य किसी भी माध्यम से किए गए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

<u>ऑनलाइन आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी को चाहिए कि:</u>

I. स्कैन करें :

फोटोग्राफ (4.5 सें.मी.X 3.5 सें.मी.)
हस्ताक्षर (काली स्याही में)
बाएँ अँगूठे का निशान (सफ़ेद कागज़ पर काली या नीली स्याही में)
हस्तलिखित घोषणा पत्र (सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही के साथ) (नीचे दिए गए विवरणानुसार) यह सुनिश्चित किया जाए कि ये सभी स्कैन दस्तावेज़ इस विज्ञापन में दिए गए अपेक्षित विशेषताओं के अनुरूप हैं.

II. बड़े (कैपिटल) अक्षरों में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएँगे.

III. बाएँ हाथ के अँगूठे की छाप अच्छी तरह से स्कैन की जाए और अस्पष्ट न हो. (यातो बायाँ अँगूठा न हो तो अभ्यर्थी आवेदन के लिए दाहिने हाथ के अँगूठे की छाप ले सकता है).

IV. हस्तलिखित घोषणा का पाठ निम्नानुसार है:

“I......................(Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required.”

V. उपर्युक्त हस्तलिखित घोषणा अभ्यर्थी के अपने हस्तलेख में होगी और केवल अंग्रेजी में होगी. यदि यह किसी अन्य के द्वारा लिखी और अपलोड की गई होगी या किसी अन्य भाषा में होगी तो आवेदन को अवैध माना जाएगा. (दृष्टिगत बाधा वाले जो अभ्यर्थी लिख नहीं सकते वे घोषणा के पाठ को टंकित करा कर टंकित घोषणा के नीचे अपने बाएँ हाथ के अँगूठे की छाप लगाकर दस्तावेज़ को विनिर्देशों के अनुसार अपलोड कर सकते हैं.

VI. अपेक्षित आवेदन शुल्क/ सूचना प्रभार के ऑन-लाइन भुगतान के लिए आवश्यक विवरण/ दस्तावेज़ तैयार रखें.

VII. **अभ्यर्थियों के पास एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के पूरे होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए. बैंक परीक्षा आदि के लिए कॉल लेटर पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से भेज सकता है. यदि किसी अभ्यर्थी के पास वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी न हो, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अपना नया ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बनाना चाहिए और उस ईमेल एकाउन्ट और मोबाइल नंबर को बनाए रखना चाहिए.**

आवेदन शुल्क/ सूचना प्रभार (वापस नहीं किया जाएगा)

आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान (25 दिसंबर 2019 से 12 जनवरी 2020)

पद के लिए आवेदन शुल्क (लागू जीएसटी को छोड़कर) निम्नानुसार होगा:

आवेदक की श्रेणी	**आवेदन शुल्क**	**सूचना प्रभार आदि**	**कुल**
अजा/अजजा/ पीडबल्यूबीडी/ पूर्व सैनिक	शून्य	50/-	50/-
अन्य सभी के लिए	400/-	50/-	450/-

आवेदन शुल्क/ सूचना प्रभारों के ऑनलाइन भुगतान के लिए जीएसटी और बैंक लेनदेन प्रभारों का वहन अभ्यर्थी को करना होगा.

अ. आवेदन पंजीकरण

1. अभ्यर्थी बैंक की वेबसाइट 'www.nabard.org/career' पर जाकर कैरियर नोटिसेज पर क्लिक करें और **'एप्लाय ऑन लाइन'** पर क्लिक करें जिससे नया स्क्रीन खुलेगा.

2. आवेदन पंजीकरण हेतु **'क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन'** टैब का चयन करें और अपने नाम, संपर्क विवरण व ई-मेल आई-डी की प्रविष्टि करें. सिस्टम द्वारा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड जेनरेट होगा जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा. अभ्यर्थी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड को नोट करें. साथ ही अभ्यर्थी को इस संबंध में ई-मेल व मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजा जाएगा.

3. अभ्यर्थी द्वारा एक बार में समग्र डाटा नहीं भर पाने की स्थिति में, वह पहले से ही भरे गए डाटा को **'सेव एन्ड नेकस्ट'** टैब को सेलेक्ट कर सेव कर सकते हैं. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ऑनलाइन आवेदनपत्र में भरे गए विवरणों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए **'सेव एन्ड नेक्स्ट'** टैब की सुविधा का उपयोग करें और यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन भी करें. दृष्टि बाधित अभ्यर्थी आवेदनपत्र को ध्यानपूर्वक भरें और आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले उसमें भरे गए विवरणों की सत्यता सुनिश्चित करें/ करवाएँ.

4. चूंकि एक बार **'फाइनल सबमिट बटन'** क्लिक करने के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता अत: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन को ध्यानपूर्वक भरें और उसमें भरे गए विवरणों की सत्यता स्वयं सुनिश्चित करें.

5. अभ्यर्थी का नाम या उसके पिता/ पति का नाम सही रूप से भरना होगा जैसा कि अभ्यर्थी के प्रमाणपत्रों/ अंकपत्र तथा परीक्षा के लिए लाए गए मान्य आईडी में लिखा गया है. किसी भी प्रकार के परिवर्तन/ संशोधन के पाए जाने पर अभ्यर्थी अपात्र हो जाएगा.

6. अभ्यर्थी 'वैलिडेट योर डिटेल्स' पर क्लिक कर अपने विवरण को वैलिडेट करें और 'सेव एन्ड नेक्स्ट' पर क्लिक कर अपने आवेदनपत्र को सेव करें.

7. बिन्दु "ई" में दिए गए फोटोग्राफ व हस्ताक्षर को अपलोड करने से संबन्धित विनिर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी अपने फोटोग्राफ व हस्ताक्षर को अपलोड करें.

8. अभ्यर्थी आवेदनपत्र के अन्य विवरण भरें.

9. आवेदनपत्र को 'फाइनल सबमिट' करने से पहले समग्र आवेदनपत्र को देखने और सत्यापन करने हेतु प्रिव्यू टैब को क्लिक करें.

10. यदि आवश्यक हो तो, आवेदन में संशोधन करें और समग्र आवेदनपत्र को देख कर और सत्यापित कर तथा फोटोग्राफ, हस्ताक्षर को अपलोड करने के बाद तथा आपके द्वारा भरे गए अन्य विवरणों की सत्यता सुनिश्चित करने के बाद ही 'फाइनल सबमिट' को क्लिक करें.

11. 'पेमेन्ट' टैब को क्लिक करें तथा भुगतान के लिए आगे बढ़ें.

12. 'सबमिट' बटन को क्लिक करें

आवेदन शुल्क का भुगतान

ऑनलाइन मोड

1. आवेदनपत्र को पेमेन्ट गेटवे से जोड़ा गया है और निन्नलिखित अनुदेशों का अनुसरण करते हुए शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

2. मास्टर/ वीज़ा/ रुपे डेबिट/ क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग, आइएमपीएस, कैश कार्ड/ मोबाइल वैलेट के माध्यम से स्क्रीन पर पूछी गयी जानकारी देकर भुगतान किया जा सकता है.

3. **ऑनलाइन आवेदनपत्र में भुगतान संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने के बाद सर्वर से सूचना का इंतजार करें. दोहरे भुगतान से बचने हेतु 'बैक' या 'रिफ्रेश' बटन को क्लिक न करें.**

4. ट्रान्जेक्शन के सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद **'ई-रिसीट'** जेनरेट होगी.

5. **'ई-रिसीट'** जेनरेट नहीं होना दर्शाता है कि भुगतान नहीं हुआ है. ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को अपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड से **पुन: लॉग-इन** कर भुगतान करना होगा.

6. अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे **ई-रसीद और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट लें**. **<u>कृपया यह नोट करें कि यदि ई-रसीद जनरेट नहीं होती तो इसका मतलब है कि ऑनलाइन लेनदेन सफल नहीं हुआ.</u>**

7. क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वालों के लिए: सभी राशियाँ भारतीय रुपए में दी गई हैं. यदि आप गैर-भारतीय कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका बैंक वर्तमान विनिमय दर के आधार पर उसे आपकी स्थानीय मुद्रा में बदल देगा.

8. अपने डेटा की सुरक्षा के लिए लेनदेन पूर्ण हो जाने के बाद अपना ब्राउजर विंडो बंद कर दे.

9. **शुल्कों का भुगतान करने के बाद शुल्क से संबन्धित विवरणों सहित आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट लेने की सुविधा दी गई है.**

इ. दस्तावेज़ स्कैन और अपलोड करने संबंधी दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन के पहले अभ्यर्थी के पास अपने फोटोग्राफ और हस्ताक्षर का नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुरूप स्कैन किया गया (डिजिटल) इमेज होना चाहिए.

फोटोग्राफ इमेज

- नवीनतम रंगीन पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए.
- फोटोग्राफ हल्के रंग में, विशेष कर सफेद रंग की पृष्ठभूमि में लिया होना चाहिए.
- चिंतामुक्त चेहरे के साथ कैमरे के सामने सीधा देखिए.
- यदि सूर्य प्रकाश में अथवा सूर्य आपके पीछे होने की स्थिति में फोटो लें या छांव में रहें ताकि आपकी आँखें तिरछी न हों और कोई घनी परछाई ना आ रही हो.
- यदि आपको 'फ्लैश' का उपयोग करना है तो यह सुनिश्चित करें कि फोटोग्राफ में `रेड आय` नहीं दिखें.
- यदि आपने चश्मे पहन रखे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्शन नहीं है व आंखें स्पष्ट दिख रही हैं.
- टोपी, गोल-टोपी और गहरे रंग के चश्मे स्वीकार्य नहीं होंगे. चेहरा नहीं ढंकनेवाली धार्मिक पगड़ी की अनुमति होगी.
- डायमेंशन्स 200 x 230 पिक्सल्स (अधिमानतः)
- 20 केबी से 50 केबी तक फाइल साइज

- यह सुनिश्चित करें कि स्कैन्ड इमेज 50 केबी से अधिक न हो. यदि फाइल 50 केबी से अधिक हो तो तो स्कैनिंग प्रक्रिया के दौरान स्कैनर का सेटिंग जैसे डीपीआई रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि को एडजस्ट करें.
- यदि फोटो को फोटो के स्थान पर अपलोड नहीं किया जाता तो परीक्षा में प्रवेश रद्द/ मना कर दिया जाएगा. इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा.
- अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फोटो को फोटो के स्थान पर और हस्ताक्षर को हस्ताक्षर के स्थान पर अपलोड किया जाए. यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया जाता तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा.
- अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपेक्षित आकार का फोटो अपलोड किया जाए और चेहरा स्पष्ट दिखाई दे.

हस्ताक्षर, बाएँ हाथ के अँगूठे की छाप और हस्तलिखित घोषणा के इमेज

- अभ्यर्थी को सफेद कागज पर काली स्याही से हस्ताक्षर करने होंगे.
- अभ्यर्थी को काली या नीली स्याही से सफ़ेद कागज़ पर बाएँ हाथ के अँगूठे की छाप लेनी होगी.
- अभ्यर्थी को सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से अंग्रेजी में साफ-साफ अक्षरों में घोषणा लिखनी होगी.
- हस्ताक्षर, बाएँ हाथ के अँगूठे की छाप और हस्तलिखित घोषणा आवेदक की और उसके ही द्वारा होनी चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा.
- हस्ताक्षर का उपयोग कॉल लेटर पर और आवश्यकतानुसार अन्यत्र डालने के लिए किया जाएगा.
- कॉल लेटर पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और परीक्षा के दौरान उपस्थिति शीट पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर का मिलान अपलोडेड हस्ताक्षर से होना चाहिए. ऐसा नहीं होने पर, अभ्यर्थी को अपात्र घोषित किया जाएगा.
- डायमेंशन्स - 140 x 60 पिक्सल्स (अधिमानतः)
- फाइल साइज 10 से 20 केबी तक (हस्ताक्षर और बाएँ हाथ के अँगूठे की छाप के लिए)
- हस्तलिखित घोषणा के लिए फ़ाइल साइज 20 केबी से 50 केबी
- यह सुनिश्चित करें कि स्कैंड इमेज की साइज 20 केबी से अधिक (हस्ताक्षर और बाएँ हाथ के अँगूठे की छाप के लिए) और 50 केबी से अधिक (हस्तलिखित घोषणा के लिए) न हो.
- बड़े (कैपिटल) अक्षरों में हस्ताक्षर/ हस्तलिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी.

दस्तावेज़ों की स्कैनिंग

- स्कैनर न्यूनतम 200 डीपीआई (डोट्स पर इंच) पर सेट करें.
- कलर को 'ट्रू' कलर में सेट करें.
- फाइल साइज उपर्युक्त विनिर्देशों के अनुसार
- फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर/ बाएँ हाथ के अँगूठे का निशान/ हस्तलिखित घोषणा-पत्र के अंतिम सिरे तक स्कैनर में इमेज को क्राप करें और उसके बाद (उपर्युक्त विनिर्देशों

के अनुसार) अपलोड एडिटर का उपयोग कर इमेज को क्राप कर उसे अंतिम आकार दें.

- फाइल की इमेज जेपीजी/ जेपीईजी फार्मेट में होनी चाहिए. उदाहरण के रूप में - फाइल का नाम है: इमेज01.जेपीजी या इमेज 01.जेपीईजी इमेज डिमेशन्स की जाँच फोल्डर फाइलों की लिस्टिंग या फाइल इमेज आइकोन पर माउस को घुमा कर की जा सकती है. एमएस-विन्डो / एमएस ऑफिस का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थी एमएस पेंट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर के माध्यम से अधिकतम फोटोग्राफ के लिए 50 केबी और हस्तलिखित घोषणा-पत्र के लिए 100 केबी व हस्ताक्षर के लिए 20 केबी एवं बाएँ हाथ के अँगूठे के निशान के लिए 50 केबी आसानी से जेपीईजी फार्मेट में प्राप्त कर सकते हैं. किसी भी फार्मेट में स्कैन्ड फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को फाइल मेनू में `सेव ऐज` के विकल्प का उपयोग कर .जेपीजी फॉर्मेट में `सेव` किया जा सकता है और `क्राप' का उपयोग कर उसके आकार को 50 केबी से कम (फोटोग्राफ) और हस्तलिखित घोषणा-पत्र के लिए 100 केबी तथा हस्ताक्षर के लिए 20 केबी एवं बाएँ हाथ के अँगूठे के निशान के लिए 50 केबी तक कम किया जा सकता है. {कृपया पिक्सल साइज हेतु इमेज मेनू में उक्तानुसार बिन्दु (i) और (ii) देखें)}. अन्य फोटो एडिटर में भी इस प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं.

  यदि फाइल साइज और फार्मेट यथा-निर्दिष्ट रूप में नहीं होंगे तो एरर मेसेज दिखाई देगा.

  ऑनलाइन आवेदनपत्र भरते समय अभ्यर्थी को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर, बाएँ हाथ के अँगूठे का निशान तथा हस्तलिखित घोषणा-पत्र अपलोड करने हेतु एक लिंक दिया जाएगा.

दस्तावेज़ अपलोड करने हेतु प्रक्रिया

- फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएँ हाथ के अँगूठे के निशान और हस्तलिखित घोषणा-पत्र को अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक होंगे.
- `अपलोड फोटोग्राफ/ सिग्नेचर/ लेफ्ट थंब इंप्रेशन/ हैंड रिटन डेक्लरेशन` लिंक को क्लिक करें.
- जहां पर स्कैन्ड फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर/ बाएँ हाथ के अँगूठे के निशान/ हस्तलिखित घोषणा-पत्र की फाइल `सेव` की गई है वहां ब्राऊज और सेलेक्ट करें.
- उस पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करें.
- **'ओपेन/ अपलोड'** बटन को क्लिक करें.

आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक रजिस्टर नहीं होगा जब तक आप यथानिर्दिष्ट रीति से फोटो, हस्ताक्षर, बाएँ अँगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा-पत्र अपलोड नहीं करते.

नोट :

1. फोटोग्राफ में चेहरा अथवा हस्ताक्षर अथवा बाएँ हाथ के अँगूठे का निशान अथवा हस्तलिखित घोषणा-पत्र असपष्ट/ गंदा होने की स्थिति में अभ्यर्थी के आवेदन को निरस्त किया जा सकता है.
2. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर/ बाएँ हाथ के अँगूठे के निशान/ हस्तलिखित घोषणा-पत्र अपलोड करने के पश्चात् अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे इस बात

की जाँच कर लें कि इमेज स्पष्ट है और ठीक से अपलोड की गई है. यदि फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर/ बाएँ हाथ के अँगूठे के निशान/ हस्तलिखित घोषणा-पत्र स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य नहीं है तो अभ्यर्थी फॉर्म सब्मिट करने से पहले अपने आवेदन को संपादित कर लें और अपने फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर को पुनः अपलोड कर लें.

3. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद प्रणालीगत ऑनलाइन जेनरेट किए गए आवेदन फार्मों का प्रिंट आउट ले लें.

अभ्यर्थियों को उनके हित में सूचित किया जाता है कि अंतिम तारीख से पूर्व ऑनलाइन आवेदन करें और शुल्क जमा करने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें. क्योंकि हेवी लोड के कारण इंटरनेट/ नाबार्ड की वेबसाइट जाम होने पर संपर्क न होने/ अक्षमता/ विफलता की संभावना बनी रहती है.

उपर्युक्त कारणों से अथवा नाबार्ड के नियंत्रण से परे अन्य कारणों से अभ्यथियों अंतिम तारीख तक अपना आवेदन प्रस्तुत न कर पाने के मामले में नाबार्ड उत्तरदायी नहीं होगा.

अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत की गई सूचना के लिए अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा/ होगी और बाद में यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना/विवरण गलत पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अभियोजन/ दीवानी मुकदमा दायर किया जा सकता है.

कदाचार/ अनुचित साधनों का उपयोग करने पर दोषी पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

अभ्यर्थियों को उनके हित में चेतावनी दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदनपत्र भरते समय कोई ऐसा विवरण न दें जो झूठा, हेर-फेर किया हुआ / मनगढ़ंत हो और न ही किसी महत्त्वपूर्ण जानकारी को छिपाएँ.

ऑनलाइन परीक्षा के समय अथवा अनुवर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि अभ्यर्थी को निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है -

1. परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग, या
2. किसी अन्य व्यक्ति के नाम से परीक्षा देना अथवा अपने नाम पर किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा में बिठाना, या
3. परीक्षा भवन/ साक्षात्कार हॉल में दुर्व्यवहार करना अथवा परीक्षा की विषय-वस्तु को प्रकट करने, प्रकाशित करने, पुनः प्रकाशित करने, प्रसारित करने, संग्रह करने अथवा प्रसारण अथवा संग्रहण में सहायता करने अथवा परीक्षा से संबन्धित किसी सूचना को सम्पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी तरह से या किन्हीं साधनों, मौखिक अथवा लिखित, इलेक्ट्रोनिक अथवा मेकनिकल रूप से सहायता करना
   i. चयन हेतु अपनी अभ्यर्थिता के लिए अनियमित अथवा अनुचित तरीके अपनाना, या
   ii. अनुचित तरीके से अपनी अभ्यर्थिता के लिए सहायता प्राप्त करना;
   iii. परीक्षा/ साक्षात्कार भवन में सूचना के लिए मोबाइल फोन अथवा तो इसी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक उपकरण ले जाने पर ऐसे अभ्यर्थी आपराधिक अभियोजन का भागी बनाने के अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्रवाई के लिए भी पात्र होगा:
   iv. उसने जिस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, उसके लिए उसे **अनर्ह** माना जाएगा,

v. नाबार्ड द्वारा संचालित की जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा भर्ती से, उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए **प्रतिबंधित** किया जाएगा, और
vi. यदि अभ्यर्थी पहले ही बैंक की सेवा में आ भी चुका है तो उसे सेवा से **बरखास्त** किया जाएगा.

8. बायोमेट्रिक डाटा - कैप्चर और सत्यापित करना

परीक्षा से पूर्व मुख्य ऑनलाइन परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डाटा (अँगूठे का इम्प्रैशन) और फोटोग्राफ ले लिया जाएगा जिसका सत्यापन भर्ती/ नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान बाद में किया जाएगा. बायोमेट्रिक डाटा की स्थिति (समानता और अंतर) के संबंध में बायोमेट्रिक डाटा के सत्यापन प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा.

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि बायोमेट्रिक सत्यापन सुचारु रूप से हो इसके लिए निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में सावधानी बरतनी होगी :

- यदि उँगलियों पर कोई कोट (मुहर की स्याही/ मेहंदी/ रंग आदि) दिया गया हो तो कृपया यह सुनिश्चित करें कि उनको स्वच्छ कर लें ताकि परीक्षा से पहले वह कोट चला जाए.
- यदि उँगलियाँ गंदी हैं या उनपर धूल लगी हुई है तो उन्हें स्वच्छ कर लें और फिंगर प्रिंट (बायोमेट्रिक) लेने से पहले उनको सुखा लें.
- सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की उँगलियाँ सूखी हों, यदि गीली हों तो सभी उँगलियों को पोंछकर सुखा लें.
- यदि कैप्चर किया जाने वाला अँगूठा दुर्घटनाग्रस्त/ क्षतिग्रस्त है तो तत्काल परीक्षा केंद्र पर संबन्धित प्राधिकारी को सूचित करें. इस प्रकार के मामले में अन्य उँगलियों, पैर की उँगलियों आदि के इंप्रेशन को कैप्चर किया जा सकता है.

9. सामान्य अनुदेश :

i. अभ्यर्थियों को आवेदन की मुद्रित प्रति या कोई प्रमाणपत्र या उसकी प्रति ऑनलाइन आवेदन के समय किसी भी पते पर प्रस्तुत/ प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है. आवेदन में घोषित सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता पर विचार किया जाएगा. यदि किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत कोई सूचना मिथ्या/ गलत है या यदि नाबार्ड के अनुसार अभ्यर्थी पात्रता मानदंड पूरे नहीं करता तो उसकी अभ्यर्थिता/ नियुक्ति निरस्त/ समाप्त किए जाने के लिए पात्र होगी.
ii. सभी शैक्षणिक अर्हताएँ भारत में केंद्रीय या राज्य विधायिका के किसी अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालय/ संस्थान से अथवा संसद के अधिनियम के माध्यम से स्थापित किसी अन्य शैक्षणिक संस्था अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के रूप में मान्य घोषित संस्था से ली गई होनी चाहिए.
iii. नाबार्ड अभ्यर्थियों से आवेदन करने की उनकी पात्रता के संबंध में सलाह मांगने के किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा.
iv. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा हेतु बुलावा पत्र को डाउनलोड करने के लिए नाबार्ड की वेबसाइट पर जाना होगा. बुलावा पत्र को डाउनलोड करने से संबंधी सूचना ई-मेल/ एसएमएस से भेजी जाएगी. एक बार संबंधित लिंक को क्लिक करने के बाद, अभ्यर्थी

बुलावा पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं. इस हेतु अभ्यर्थी को (i) पंजीकरण संख्या/ रोल नंबर, (ii) पासवर्ड/ जन्म तारीख का उपयोग करना होगा. अभ्यर्थी को अपना नवीनतम फोटोग्राफ अधिमानत: जो उसने पंजीकरण के दौरान दिया है, बुलावा पत्र पर चिपकाना होगा और परीक्षा केन्द्र पर (i) बुलावा पत्र, (ii) नीचे दिए गए खंड (xiii) में यथानिर्धारित पहचानपत्र के रूप में मूल पहचानपत्र के साथ उपस्थित होना होगा.

v. **विलंब से आनेवाले अभ्यर्थी** अर्थात् बुलावा पत्र में परीक्षा हेतु इंगित समय के बाद रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. बुलावा पत्र में परीक्षा हेतु इंगित समय परीक्षा के आरंभ होने के पहले का है. यद्यपि प्रारम्भिक परीक्षा के लिए परीक्षा अवधि एक घंटा और मुख्य परीक्षा के लिए दो घंटा है. तथापि अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन व संग्रहण सहित लॉग-इन, अनुदेश देने आदि विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए परीक्षा स्थल पर क्रमशः लगभग 3 और 4 घंटे रुकना होगा.

vi. अभ्यर्थियों को अपनी लागत पर परीक्षा में उपस्थित रहना होगा.

vii. आयु/ अर्हता/ श्रेणी आदि से संबन्धित दस्तावेज़ों को नियुक्ति/ दस्तावेज़ों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा. अजा/ अजजा/ अपिव/ आकव के रूप में आरक्षण चाहने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रोफ़ार्मा में जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हो कि अभ्यर्थी की जाति क्या है, किस अधिनियम/ आदेश के तहत जाति को अजा/ अजजा/ अपिव/ आकव के रूप में मान्य किया गया है और साथ ही किस गाँव/ शहर का अभ्यर्थी मूल निवासी है, अभ्यर्थियों को नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा.

viii. परीक्षा संचालित करने के दौरान कुछ समस्या घटित होने की संभावना से पूर्ण रूप से इंकार नहीं किया जा सकता जिसके कारण टेस्ट डिलीवरी और/अथवा परिणाम सृजन प्रभावित हो सकता है. ऐसी स्थिति में समस्या को सुधारने हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा जिसमें अभ्यर्थियों को अन्य केन्द्रों पर भेजना या यदि आवश्यक समझा जाए तो अन्य परीक्षा संचालित करना शामिल है. इस संबंध में नाबार्ड का निर्णय अंतिम होगा. जो अभ्यर्थी ऐसे परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, उनकी अभ्यर्थिता परीक्षा के लिए रद्द कर दी जाएगी.

ix. भर्ती से संबन्धित सभी मामलों में नाबार्ड का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थी के लिए बाध्यकारी होगा. इस मामले में कोई पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा.

x. यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है तो सभी सत्रों में प्रयुक्त विभिन्न टेस्ट बैटरियों के कठिनाई के स्तर के मामूली अंतर को समायोजित करने के लिए विभिन्न सत्रों के स्कोर को समान स्तर पर लाया जाएगा. यदि किसी केन्द्र या किसी अभ्यर्थी के लिए नोड्स की क्षमता कम है या कोई तकनीकी व्यवधान उत्पन्न होता है तो परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाएगी.

xi. नाबार्ड सही और गलत उत्तरों में समानता की शैली का पता लगाने के लिए एक अभ्यर्थी के उत्तरों का अन्य अभ्यर्थियों के उत्तरों के साथ विश्लेषण करेगा. यदि नाबार्ड द्वारा इस संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया से यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तरों को

साझा किया गया है और प्राप्तांक वास्तविक/ वैध नहीं हैं तो नाबार्ड को यह अधिकार होगा कि वह संबन्धित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दे और ऐसे अभ्यर्थियों (अनर्ह) के परिणाम रोक दिए जाएँगे.

xii. भर्ती प्रक्रिया के किसी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी देने और/ या प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया देखा जाता है तो भर्ती प्रक्रिया से अभ्यर्थी को अयोग्य ठहराया जाएगा और भविष्य में उन्हें नाबार्ड की किसी भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यदि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया के दौरान इस प्रकार की घटनाएँ पकड़ी नहीं जातीं और बाद में पकड़ी जाती हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्वव्यापी प्रभाव से अयोग्य ठहराया जाएगा.

xiii. **पहचान सत्यापन:** परीक्षा के समय अभ्यर्थी द्वारा बुलावा पत्र सहित अपना चालू वैध पहचानपत्र मूल रूप में और उसकी छायाप्रति सत्यापन के लिए निरीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी. पहचानपत्र अग्रलिखित हो सकते हैं - आधार/ पैन कार्ड/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लायसन्स/ वोटर कार्ड/ फोटोग्राफ सहित बैंक की पासबुक/ गेजेटेड अधिकारी द्वारा कार्यालयीन लेटरहेड पर जारी किया गया पहचानपत्र/ जनप्रतिनिधि द्वारा कार्यालयीन लेटरहेड पर जारी किया गया पहचानपत्र/ मान्यताप्राप्त कॉलेज/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी वैध हाल का पहचानपत्र/ फोटोग्राफ सहित आधार कार्ड/ कर्मचारी पहचान पत्र/ फोटोग्राफ सहित बार काउंसिल द्वारा जारी किया गया पहचानपत्र. अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन बुलावा पत्र में दिए गए विवरण, उपस्थिति शीट और प्रस्तुत अपेक्षित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा. यदि अभ्यर्थी की पहचान संदिग्ध पायी जाती है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

xiv. इस परीक्षा के लिए राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेन्स वैध पहचान प्रमाणपत्र **नहीं** है.

टिप्पणी: अभ्यर्थियों को **मूल फोटो पहचानपत्र** प्रस्तुत करना होगा और परीक्षा में भाग लेते समय उन्हें बुलावा पत्र के साथ-साथ फोटो पहचानपत्र की फोटोकॉपी भी प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा उन्हें परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. अभ्यर्थी यह नोट करें कि बुलावा पत्र में लिखे गए नाम (पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान दिए गए नाम) फोटो पहचानपत्र में दिए गए नाम के साथ ठीक-ठीक मिलना चाहिए. वे महिला अभ्यर्थी जिन्होंने विवाह के बाद अपने प्रथम/ अंतिम/ मध्य नाम में परिवर्तन किया है, वे इसे विशेष रूप से नोट करें. यदि बुलावा पत्र में लिखे गए नाम और फोटो पहचानपत्र में इंगित नाम में कोई विसंगित पाई जाती है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी.

xv. आयु सीमा में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के समय आवश्यक प्रमाणपत्र (त्रों) की प्रति प्रस्तुत करनी होगी.

xvi. अपिव के रूप में आरक्षण चाहने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित फॉर्मेट में इस आशय की एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वे नियुक्ति की तारीख को क्रीमी लेयर से ताल्लुक नहीं रखते. क्रीमी लेयर से ताल्लुक न रखने के उल्लेख वाला अपिव प्रमाणपत्र 30.03.2019 के बाद जारी किया गया होना चाहिए.

xvii. राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं सहित सरकारी/ अर्धसरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता से

`अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना होगा. अनापत्ति प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा. नाबार्ड में नियुक्ति के पहले नियोक्ता से एक उचित कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.

xviii. किसी भी प्रकार की सिफ़ारिश को अयोग्यता माना जाएगा.

xix. नाबार्ड के साथ पत्र व्यवहार में आवेदन की प्रस्तुति के बाद प्राप्त पंजीकरण संख्या और प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट रोल नंबर का उल्लेख अनिवार्य होगा.

xx. किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल के परिसर में मोबाइल फोन, ब्लू टूथ उपकरण, पेजर या कोई अन्य कम्यूनिकेशन/ इलेक्ट्रोनिक उपकरण लाने की अनुमति नहीं होगी. इन अनुदेशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अयोग्य ठहराया जा सकता है और भविष्यगत परीक्षाओं से विवर्जित भी किया जा सकता है.

xxi. अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल के परिसर में कलक्यूलेटर के प्रयोग या उसे रखने की अनुमति नहीं है.

xxii. अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि परीक्षा स्थल के परिसर में मोबाइल फोन, ब्लू टूथ उपकरण, पेजर जैसे वर्जित उपकरणों को साथ न लाएँ क्योंकि उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती.

xxiii. नाबार्ड अभ्यर्थियों को अंक-पत्र नहीं देगा. तथापि, भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑनलाइन परीक्षा के अंक और कट-ऑफ आदि को नाबार्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा.

xxiv. ये पद नाबार्ड के ऐसे कर्मचारी (स्टाफ अभ्यर्थी) जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं उनके लिए भी खुले होंगे. स्टाफ अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी.

xxv. इस विज्ञापन और/ या इसके प्रत्युत्तर में किसी आवेदन से उत्पन्न किसी दावे या विवाद के मामले में कानूनी कार्यवाही केवल मुंबई में की जा सकेगी और केवल मुंबई स्थित न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ मंचों को ही किसी भी कारण/ विवाद को देखने के एकमात्र क्षेत्राधिकार होगा.

xxvi. यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पता चलता है कि कोई अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता और/ या उसने कोई गलत/ मिथ्या सूचना प्रस्तुत की है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाया है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी. यदि इनमें से कोई कमी नियुक्ति के बाद भी पता चलती है तो उसकी सेवा समाप्ति के लिए पात्र होगी. पात्रता, लिखित परीक्षा के संचालन, अन्य जांचों और चयन से संबन्धित सभी मामलों में बैंक के निर्णय अंतिम और सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होंगे. इस संबंध में बैंक किसी भी अभ्यावेदन या पत्र पर विचार नहीं करेगा.

xxvii. भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में या भर्ती या कार्यग्रहण के बाद भी यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई जानकारी मिथ्या पायी जाती है या यह पाया जाता है कि वह विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुरूप नहीं है तो पंजीकृत अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता भी रद्द किए जाने के लिए पत्र होगी. इसके अलावा अभ्यर्थी को ऑनलाइन ही आवेदन करना है. किसी भी मैन्युअल/ कागजी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा. अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता अनंतिम होगी और मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अधीन होगी. अभ्यर्थियों का परीक्षण और चयन उनके द्वारा दिए गए विवरणों पर आधारित होगा. इसलिए यह आवश्यक है कि आवेदक एकदम ठीक-ठीक, पूर्ण और सही सूचना ऑनलाइन आवेदन में

प्रस्तुत करें. अभ्यर्थी द्वारा गलत या मिथ्या सूचना दिए जाने की स्थिति में उसकी अभ्यर्थिता चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अस्वीकार की जा सकती है. ऑनलाइन आवेदन में दिए गए मेलिंग के पते और घोषित श्रेणी में किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा.

xxviii. परीक्षा में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः अनंतिम है. केवल इस तथ्य का कि अभ्यर्थी को कॉल लेटर जारी किया गया है यह निहितार्थ नहीं है कि नाबार्ड द्वारा उसकी अभ्यर्थिता को अंतिम रूप से मान्य कर दिया गया है.

xxix. अभ्यर्थियों के लिए बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित या पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट से प्रेषित या बैंक के साथ पंजीकरण के समय आवेदन में उल्लिखित ई-मेल आईडी पर प्रेषित नोटिस/ सूचना सभी प्रयोजनों के लिए अभ्यर्थी को सूचना का पर्याप्त सम्प्रेषण माना जाएगा.

महत्वपूर्ण तारीखें:

ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण तथा ऑनलाइन परीक्षा शुल्क / सूचना प्रभार का भुगतान	**25 दिसंबर 2019 से 12 जनवरी 2020 तक**

मुंबई
दिनांक : 25 दिसंबर 2019

मुख्य महाप्रबंधक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग

अनुबंध - II

क्षेत्रीय कार्यालय (राज्य) और उनकी राजभाषाएँ

क्रम सं.	राज्य	राजभाषा (एँ)
1	आंध्र प्रदेश	तेलुगु
2	अरुणाचल प्रदेश	अंग्रेजी
3	छत्तीसगढ़	हिन्दी
4	गोवा	कोंकणी
5	दिल्ली	हिन्दी
6	गुजरात	गुजराती
7	हरियाणा	हिन्दी
8	हिमाचल प्रदेश	हिन्दी
9	जम्मू और कश्मीर	उर्दू, अंग्रेजी
10	कर्नाटक	कन्नड़
11	केरल	मलयालम
12	उत्तर प्रदेश	हिन्दी
13	महाराष्ट्र	मराठी
14	मेघालय	अंग्रेजी
15	मिज़ोरम	मिज़ो
16	नागालैंड	अंग्रेजी
17	ओडिशा	उडिया
18	राजस्थान	हिन्दी
19	तेलंगाणा	तेलुगु
20	त्रिपुरा	बंगाली/ काक-बराक
21	उत्तराखंड	हिन्दी

<u>अनुबंध - III</u>

<u>आरंभिक परीक्षा के लिए केन्द्र</u>

क्षेत्रीय कार्यालय	आरंभिक परीक्षा के लिए केन्द्र
आंध्र प्रदेश	चिराला, श्रीकाकुलम, गुंटूर, कड़पा, कर्नूल, नेल्लोर, राजमंड्री, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, तिरुपति, काकीनाड़ा, एलुरु, विजयनगरम
अरुणाचल प्रदेश	नहर लागून
छत्तीसगढ़	भिलाई नगर, बिलासपुर, रायपुर
गुजरात	मेहसाणा, राजकोट, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद - गांधीनगर, आणंद
हरियाणा	हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पानीपत, यमुनानगर
हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, ऊना
जम्मू और कश्मीर	सांबा, जम्मू, श्रीनगर
कर्नाटक	बंगलुरु, बेलगाव, बीदर, हासन, गुलबर्गा, हुबली-धारवाड़, मंगलुरु, मैसूर, शिमोगा, उडुपी, मंड्या, दावणगिरी
कर्नाटक (बर्ड, मंगलुरु)	
केरल	अलपुजा, कोच्चि, कुन्नूर, कोट्टयम, कोज़ीकोड, मल्लपुरम, पलक्काड, त्रिशूर, तिरुवनन्तपुरम, कोल्लम
महाराष्ट्र (प्रका मुंबई)	औरंगाबाद, अमरावती, कोल्हापुर, मुंबई/ नवी मुंबई/ ठाणे, नागपूर, नांदेड, नाशिक, पुणे, चंद्रपुर, सोलापुर, लातूर, धुले, जलगाव, रत्नागिरी
मेघालय	शिलांग
नई दिल्ली	दिल्ली- एनसीआर
ओडिशा	बालासोर, बरहमपुर (गंजम), भुवनेश्वर, कटक, सम्बलपुर, ढेंकनाल, राऊरकेला
राजस्थान	अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, अलवर
तेलंगाणा	हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मम
उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज (इलाहाबाद), बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, नोयडा/ ग्रेटर नोयडा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, वाराणसी, गोंडा, सीतापुर
उत्तराखंड	रुड़की, देहरादून, हल्द्वानी
गोवा	पणजी - म्हाप्सा
मिज़ोरम	आइज्वाल
नागालैंड	कोहिमा
त्रिपुरा	अगरतला

<u>मुख्य परीक्षा के केंद्र</u>

क्षेत्रीय कार्यालय	मुख्य परीक्षा के केंद्र
आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम, हैदराबाद
अरुणाचल प्रदेश	नहर लागून
छत्तीसगढ़	रायपुर
गुजरात	अहमदाबाद
हरियाणा	हिसार
हिमाचल प्रदेश	शिमला
जम्मू और कश्मीर	जम्मू, श्रीनगर
कर्नाटक	बंगलुरु
कर्नाटक (बर्ड, मंगलुरु)	
केरल	तिरुवनन्तपुरम
महाराष्ट्र (प्रका मुंबई)	मुंबई/ नवी मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद
मेघालय	शिलांग
नई दिल्ली	दिल्ली- एनसीआर
ओडिशा	भुवनेश्वर
राजस्थान	जयपुर
तेलंगाणा	हैदराबाद
उत्तर प्रदेश	लखनऊ
उत्तराखंड	देहरादून
गोवा	पणजी - म्हाप्सा
मिज़ोरम	आइज्वाल
नागालैंड	कोहिमा
त्रिपुरा	अगरतला